न्यायालय तहसीलदार(सदर), आगरा

वाद सं0 236/2012–2013 — अंतर्गत धारा 34 एल0आर0एक्ट

लोधी इन्फा प्रोमोटर्स बनाम **गोरेलाल आदि**
मौजा–बसई मु0 चुंगी बाहर
तहसील व जिला आगरा

आदेश

यह वाद लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट पर इस आशय से प्रारम्भ हुआ है कि मौजा **बसई मु0 चुंगी बाहर** तहसील व जिला आगरा के गाटा सं0 698, 700 किता 2 रकवा 1.0980 हे0 में से आंशिक रकवा 0.8070 हे0 का बैनामा लोधी इन्फाप्रोमोटर्स प्रा0 लि0 आगरा ने गोरेलाल आदि से कराया है। असल बैनामा के अभाव में नामांतरण वाद दिनांक 8.1.2013 को निरस्त किया गया ।

पुनःस्थापन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ । वादी को सुना गया तथा वाद पुनःस्थापित किया गया । इश्तहार पूर्व में नियमानुसार जारी किया गया है। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है । साक्ष्य में विकयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुए हैं । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं लेखपाल की आख्या से स्पष्ट है कि खातेदारान नन्द डवलपर्स प्रा0 लि0 आगरा द्वारा डायरेक्टर नन्दकिशोर मघरानी पुत्र दामोदर दास मघरानी नि0 67 कमलानगर आगरा द्वारा गाटा सं0 698 रकवा 0.3390 हे0 व 700 रकवा 0.7590 हे0 कुल रकवा 1.0980 हे0 में से आंशिक रकवा 0.7670 हे0 व परम रेज़ीडेन्सी प्रा0 लि0 आगरा द्वारा मै0डायरेक्टर आकाश शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा नि0 जी.10 लोयर्स कालौनी आगरा ने गाटा सं0 698 रकवा 0.3390 हे0 में से आंशिक रकवा 0.0400 हे0 अर्थात् कुल रकवा 0.8070 हे0 गोरेलाल व हरीचंद पुत्रगण बाबूलाल व रमाकान्त पुत्र अतरसिंह व महेन्द्रसिंह पुत्र चुन्नीलाल व राकेश पुत्र अर्जुनसिंह के हक में विक्रय किया है जिन्होंने बिना नामांतरण कराये ही लोधी इन्फाप्रोमोटर्स प्रा0 लि0 आगरा के हक में विक्रय कर दिया है जिसने नामांतरण चाहा है । विक्रेता सं0भू0 है, अनु0 जाति के सदस्य नहीं हैं, विक्रेतागणों ने अपने उक्त गाटा सं0 698, 700 किता 2 रकवा 1.0980 हे0 में से आंशिक रकवा 0.8070 हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है । केता के पास कयशुदा भूमि सहित परिवार में साढे बारह एकड से कम भूमि है । मौके पर कब्जा केता का है । ज0वि0अधि0 की धारा 154, 157ए का उल्लंघन नहीं हुआ है । साक्ष्य पूरा है । वाद निर्विवाद है ।

अतः आदेश किया जाता है कि मौजा **बसई मु0 चुंगी बाहर** तहसील व जिला आगरा की खाता संख्या 105 के गाटा सं0 698 रकवा 0.3390, 700 रकवा 0.7590 किता 2 रकवा 1.0980 हे0 में से आंशिक रकवा 0.7670 हे0 भूमिकर अनुसार रकवा देय से नन्द डवलपर्स प्रा0 लि0 आगरा द्वारा डायरेक्टर नन्दकिशोर मघरानी पुत्र दामोदर दास मघरानी नि0 67 कमलानगर आगरा व गाटा सं0 698 रकवा 0.3390 हे0 में से आंशिक रकवा 0.0400 हे0 से परम रेजीडेन्सी प्रा0 लि0 आगरा द्वारा मै0डायरेक्टर आकाश शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा नि0 जी.10 लोयर्स कालौनी आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर केता लोधी इन्फाप्रोमोटर्स प्रा0 लि0 आगरा द्वारा निदेशक सौरभ गर्ग पुत्र विजय कुमार अग्रवाल नि0 24 अलकापुरी प्रताप नगर आगरा का नाम बतौर सह0 सं0 भू0 द्वारा बैनामा दि0 9.11.2012 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

12.2.13

तहसीलदार(सदर),
आगरा ।